

वार्षिक प्रतिवेदन (2019 – 2020)

लोक विकास शिक्षण संस्थान

विकास नगर, अलवर – जयपुर बस मार्ग, अलवर (राज.)

दूरभाष	–	0144 – 2347670,
मोबाईल नं.	–	9414018462 9694743407
रजि. नं.	–	06 / अलवर / 1996–97
एफ.सी.आर.ए.	–	125420022
ई – मेल	–	lokvikass@gmail.com
पैन नं.	–	AAATL7442D



प्राकथन :

लोक विकास शिक्षण संस्थान, लोक शिक्षण, प्रशिक्षण, उत्प्रेरण, सम्प्रेषण तथा अनुवीक्षण के माध्यम से लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर सामाजिक उत्प्रेरण कर समाज में समानता व समरसता लाने की दिशा में सतत् प्रयत्नशील है। संस्थान के संस्थापक सदस्य अपने जीवन के अन्तिम पड़ाव में निष्क्रिय न रहकर अपने अनुभवों व अर्जित ज्ञान के द्वारा निस्वार्थ भावना से समाज के वंचित, उपेक्षित तथा शोषित वर्ग के उत्थान व विकास के लिए कुछ ठोस करने का सतत् प्रयास कर रहे हैं।

संस्थान को राजकीय व अन्य पोषक संस्थाओं के द्वारा अपने सपनों को साकार करने का भरपूर सहयोग मिल रहा है। संस्थान उन सभी का हृदय से आभारी है।

आपके पावन कर कमलों से संस्थान का पन्द्रहवा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। संस्थान को इस मंजिल तक पहुंचाने में जिन-जिन महानुभावों का योगदान रहा है वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा।

संस्थापक मण्डल

क- संस्थागत परिचय :

दशक में अलवर जिले में चले साक्षरता अभियान में अनेक शिक्षा कर्मियों एवं शिक्षा अधिकारियों ने अपनी-अपनी योग्यता एवं क्षमतानुसार योगदान किया है। इसी श्रृंखला में शामिल थे। वर्तमान लोक विकास शिक्षण संस्थान के पदाधिकारीगण जिनकी सूची पीछे दी गई है। साक्षरता अभियान ने इन्हें सभी तरह का अनुभव दिया। न केवल निरक्षरों तथा नवसाक्षरों की समस्याओं तथा उनके मनोविज्ञान से परिचय हुआ अपितु जिले के ग्रामीण क्षेत्र को भी नजदीकी से देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त —

- अज्ञानता
- निर्धनता
- निरक्षरता
- बीमारियां
- अस्वच्छता
- सामाजिक कुरीतियां

- आर्थिक कठिनाइयां
- सामाजिक विषमता
- महिला उत्पीडन
- लिंग भेद
- पेयजल संकट
- आतंकवाद
- महिला एवं बाल कुपोषण एवं अधिक मृत्यु दर
- लोकतांत्रिक शासन पद्धति की जानकारी के अभाव में शोषण
- बेरोजगारी

की भी जानकारी हुई। साक्षरता अभियान के अन्तर्गत ही महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हो रहे सामाजिक विषमता को देखने का अवसर भी मिला। यह बात गहराई से महसूस हुई कि वैसे तो इस वर्ग के प्रति समाज के अन्य क्षेत्रों में शोषण की भावना है किन्तु लगा कि जहां कहीं भी निरक्षरता व निर्धनता अधिक है वहां पर बिमारियां है अज्ञानता है तथा शोषण है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के अवसरों को योजना पूर्वक छीना गया है। जातिगत विषमता भेदभाव स्वाधीनता के 63 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हमारे संविधान की भावना के अनुकूल नहीं मिट पाया है। इसके अतिरिक्त अज्ञानता के कारण नई-नई बीमारियां जैसे एच.आई.वी. एडस, स्वाईन फ्ल्यू, डेंगू, कोरोना आज का प्रकोप देश में बढ़ा है तथा महिला पुरुष के लिंगानुपात में भारी अन्तर आया है। यह विषमता कन्या भ्रूण हत्या के कारण उत्पन्न हुई है।

इस पृष्ठभूमि से प्रभावित व्यक्तियों ने इस दृष्टि से कुछ न कुछ करने की ठानी और पूज्य महात्मा गांधी के जन्म दिन 2 अक्टूबर 1995 को लोक विकास शिक्षण संस्थान की स्थापना की विधिवत घोषणा हो गई।

संस्थान का पंजीकरण —

यह जानते हुए कि सामाजिक क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए संस्था का विधिवत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। औपचारिक पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र लगा दिया गया और इस प्रकार दिनांक 2 अप्रैल 1996 को संस्थान विधिवत पंजीकृत हो गया। जिसका पंजीयन क्रमांक 06/96-97 दिनांक 2 अप्रैल को हो गया।

संस्थान का ध्येय एवं लक्ष्य –

समाज के दलित, वंचित, महिलाओं एवं बच्चों एवं शोषित लोगों का समग्र विकास कर सामाजिक न्याय व समानता का लक्ष्य अर्जित करना।

संस्थान के उद्देश्य –

(क) शिक्षा :

- पांच वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं के लिए पालना गृह (क्रेश), मांटेसरी, किंडर गार्डन आदि के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- निम्नांकित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से मानवीय संसाधन तैयार कराना—
- सामान्य शिक्षा
- व्यवसायिक शिक्षा
- शारीरिक शिक्षा
- तकनीकी शिक्षा
- कम्प्यूटर शिक्षा
- ललित कला शिक्षा यानि चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक, वादन आदि।
- साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत् शिक्षा
- व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा
- अवैध शराब व नशा मुक्ति अभियान

(ख) स्वास्थ्य :

- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य :
- महिला स्वास्थ्य एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
- कन्या भ्रूण हत्या के प्रति समाज में चेतना उत्पन्न करना व इस कुरीति का निराकरण करना।
- एड्स, टी.बी. आदि जैसी घातक बीमारियों के प्रति समाज में सजकता उत्पन्न करना।
- पल्स पोलियो व बाल टीकाकरण को प्रोत्साहित करना।
- जल एवं स्वच्छता के प्रचार व प्रसार द्वारा रोगों पर नियंत्रण करने पर सरकार का सहयोग करना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण द्वारा कुशल जनशक्ति तैयार करना।

संस्थान की ताकत :

- (अ) प्रतिष्ठा प्राप्त, प्रशिक्षित व अनुभवी मार्गदर्शक एवं प्रबन्धन मण्डल
- (ब) समर्पित भाव से सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की उपलब्धता
- (स) महिला कार्यकर्ताओं का बाहुल्य
- (द) संस्था के पास प्रशिक्षण, शिक्षण व मार्गदर्शन के प्रचुर साधन व क्षमता उपलब्ध होना इत्यादी।

संस्था द्वारा 2019–2020 में संचालित परियोजनाओं का विवरण

वर्ष	परियोजना का नाम	पोषक संस्था / विभाग / अभिकरण	विवरण उपलब्धि
2019–20	विद्यालय	स्वयं का प्रयास	40 बच्चों की पढाई करवाई गई।
2019–20	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	आर.के.सी.एल. (राज. सरकार से मान्यता प्राप्त)	40 विद्यार्थियों को आर.एस.सी.आई.टी. टैली, बेसिक कोर्स पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देकर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये गये हैं।
2019–20	बेसिक कम्प्यूटर कोर्स	स्वयं का प्रयास	65 बच्चों को बेसिक कम्प्यूटर कोर्स कराया गया।
2019–20	स्वयं सहायता समूह गठन एवं संचालन	नाबार्ड	पंचायत समिति उमरैण में 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन 100 को बैंकों से जोडा गया विभिन्न समूहों को इस सत्र में लगभग 1 करोड 26 लाख की राशि दिलवायी गई एवं इन समूहों को आजीविका के कार्यक्रमों से भी जोडा गया है। इसके अतिरिक्त इन समूहों को डॉक्टरों की एक टीम निःस्वार्थ काम करती है। इस टीम के द्वारा 200 सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाईयां दिलवाई गयी है। व कुछ समूहों का निशुल्क खेती के लिए बीज भी दिलवाये गये हैं।
2019–20	स्वयं सहायता समूहों का संचालन	स्वयं का प्रयास	पंचायत समिति थानागाजी में 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया व 50 प्रतिशत समूहों को बैंकों से जोडा गया।

2019–20 में नाबार्ड बैंक से चल रहा प्रोजेक्ट में हम गांव-गांव जाकर हमने समूहों का गठन किया व ग्रामीण बैंक अकबरपुर व ग्रामीण बैंक बीजवाड नरुका व आई.सी.आई.सी.आई बैंक अलवर से हमारे द्वारा बनाये गये 100 समूहों का बैंकों से जोडा। व सबसे ज्यादा हमारे 100 समूहों को लेन देन में आई सी आई बैंक ने अहम भूमिका निभाई।